उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–2

संख्या : 511/छः–पु–2–2011–1100(139)/2008
लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

यू0पी0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 40, सन 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

<u>उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011</u>

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
<u>(घ) रिजर्व उप निरीक्षकः–</u> मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/ प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा। (1) रैंकधारी उपनिरीक्षकों/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के मामले में यह आवश्यक है कि (एक) उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठयक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) सीधे भर्ती हुये उपनिरीक्षक/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के लिये यह आवश्यक है कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	<u>(घ) रिजर्व सब इन्स्पेक्टरः–</u> मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा किन्तु यह आवश्यक है किः– (एक) रैंकधारी उपनिरीक्षकों, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों के मामले में उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठयक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) सीधी भर्ती हुए उपनिरीक्षक, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों, उपनिरीक्षक, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

नियम 10 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में नियम–10 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(दो)<u>उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल/प्लाटून कमाण्डर के लिए:–</u> जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियॉ प्रकाशित की जायं, उसकी जुलाई, के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	(दो)<u>उपनिरीक्षक सशस्त्र आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के लिए:–</u> जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियॉ प्रकाशित की जायं, उसकी जुलाई, के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो: परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, के अभ्यथिर्यो के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 15 का संशोधन

उक्त नियमावली में नियम–15 के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ख) (झ) (ञ) और (ट) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख)<u>बुलावा पत्र</u> बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण–पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जॉच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहॉ से आवेदन पत्र कय किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावापत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो	(ख)<u>बुलावा पत्र</u> बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षण के समय प्रमाण–पत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण–पत्रों से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र स्कैन किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र, पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहॉ से आवेदन पत्र कय प्रस्तुत किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात् बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण का दिनॉक और समय सहित शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर संवीक्षा कें लिए ऐसे दस्तावेज, जो अभ्यर्थियों से अपेक्षित हो, को स्पष्ट रूप से बुलावा पत्र पर इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र शारीरिक मानक परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुॅच जाने चाहिए। यदि परीक्षण प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व में बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे

अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहियें। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का कमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावापत्र जारी किया जायेगा।

(झ)श्रेष्ठता सूची

अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड द्वारा, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे स्वयं, इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने प्राप्तांकों की जांच कर सकें। वाह्य सहायित एजेंसी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेंगी। तदनुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियॉ प्रकाशित की जायेंगी। बाह्य सहायित एजेंसी जिसने लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबंद आवरण में प्राप्तांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी।

टिप्पणी– यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर औसत अंक प्राप्त करते है तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे:–

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या, राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अभ्यर्थी वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड से समस्त संचार/पत्राचार में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड उद्धृत करना होगा। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावा पत्र जारी किया जायेगा।

(झ) अन्तिम चयन सूची–

अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुतियों सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित चिकित्सा परीक्षा और चरित्र/अभिलेख सत्यापन के अध्यधीन होगा। बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची नही बनाई जायेगी। इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे सफल या अपात्र हुये है, प्रत्येक अभ्यर्थी की श्रेष्ठता सूची और अंकों का विखण्डन वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जायेगी जिससे अभ्यर्थी अपनी योग्यता/अंक स्वयं अवगत हो सके। बाह्य सहायतित एजेंसी द्वारा अपेक्षित साफ्टवेयर विकसित की जायेगी, जिसके माध्यम से क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण से सम्बन्धित पूर्व परिभाषित मानकों के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। तदनुसार जिलावार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियॉ वाह्य सहायतित एजेंसी द्वारा तैयार की जायेंगी। बाह्य सहायतित एजेंसी अधिकतम अंको और अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक श्रेष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायेगी। यह एजेण्सी जिलावार और श्रेणीवार चयन सूची उत्तर पत्रक के साथ बोर्ड के अध्यक्ष को मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित करेगी।

टिप्पणी– यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार श्रेष्ठता सूची को अन्तिम रूप

या, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण कराने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

(2) उक्त बिन्दु–(1) के उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी को बराबर–बराबर औसत अंक प्राप्त हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

(3) इसके उपरान्त भी यदि बराबर–बराबर अंक एवं एक ही जन्मतिथि हो तो फिर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने अभिरूचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किये हों।

(4) इसके उपरान्त भी यदि बराबर–बराबर अंक, एक ही जन्मतिथि तथा अभिरूचि परीक्षण में एक से ही औसत अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कम में पहले हो।

(ग) चिकित्सा परीक्षा

लिखित परीक्षा में सफल व चयनित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियम–13 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–3 में दी गई है। चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की बोर्ड द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी।

(ख) (ट) अनन्तिम चयन सूची

दिया जायेगा:–

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या, राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण कराने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

(2) यदि उपर्युक्त के बावजूद दो या दो से अधिक अभ्यर्थी को बराबर–बराबर औसत अंक प्राप्त हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

(3) यदि औसत अंक अब भी बराबर–बराबर हो और एक ही जन्मतिथि हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने अभिरूचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किये हों।

(4) यदि उपर्युक्त विचार विमर्श के बावजूद अब भी बराबर–बराबर अंक हो और एक ही जन्मतिथि हो तथा अभिरूचि परीक्षण में बराबर–बराबर अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हो।

(ञ) चिकित्सा परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों से जिनके नाम खण्ड–15(झ) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गयी अन्तिम चयन सूची में आये हों, चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश पर नियम–13 के अधीन चिकित्सा परीक्षण, परिशिष्ट–3 में दी गई प्रकिया के अनुसार कराया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है उसे उस कमी जिसके कारण उसे संबंधित बोर्ड द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, और यदि संभव हो तो उस कमी को दूर करने तथा 6 माह की अवधि के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने के संबंध में सूचित कर दिया जायेगा। यदि 6 माह के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अब भी चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ट) निकाल दिया ज़ायेगा।

नियम–15 (ञ) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के आधीन श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी।

नियम 18 का संशोधन (क) उक्त नियमावली के नियम–18 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) (ड.) (ट) (ठ) (ड) (ढ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा	(घ) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा
अभ्यर्थियों में से जो खंड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस परीक्षा के लिये 200 अंक होंगे। इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिकी, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की सामान्य गणित और 50 अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। सफल घोषित किये जायेंगे।	ऐसे अभ्यर्थियों जो खंड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार/ प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षा के लिये 200 अंक होंगे। इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिक विषय, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किये जायेंगे।
(ड.)शारीरिक दक्षता परीक्षण–	(ड.)शारीरिक दक्षता परीक्षण–
खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड 55 मिनट में तथा महिलाओं के लिये 05 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–8 में दी गयी हैं।	खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड 60 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 05 किलोमीटर की दौड 35 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालित करने की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–8 में दी गयी हैं।
(ट) चयन और श्रेष्ठता सूची–	(ट) अनन्तिम चयन सूची–
खंड(च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ञ) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगा।	खंड(च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ञ) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा और समूह

बोर्ड द्वारा, आरक्षण नीति दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता कम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार की जाएगी। यदि दो अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड अपने वेब साइट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के लिये तत्काल अपलोड करेगा।

टिप्पणी:–

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर औसत अंक प्राप्त करते है तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे:–

1–ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हो।

2–इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अपलीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण कराने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

3– इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर बराबर औसत अंक हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

4–इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर बराबर अंक औसत अंक हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले हो।

(ठ) चिकित्सा परीक्षा–

परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड रिक्तियों के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन के अध्यधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नही की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

टिप्पणी:–

यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते है तो श्रेष्ठता का विनिश्चय नीचे उल्लिखित क्रम में निम्नलिखित प्रकिया द्वारा किया जायेगा।

1–ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी, जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किया हो।

2–यदि इसके पश्चात भी, दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

3– इसके पश्चात भी यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर बरांबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो।

4–इसके पश्चात् भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता हो।

(ठ) चिकित्सा परीक्षा–

मुख्य लिखित परीक्षा व समूह परिसंवाद के उपरान्त नियम–18(ट) में चयनित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियमावली के प्रस्तर–13 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट –10 में विहित है। चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के चयन हेतु बोर्ड द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी।

(ड) <u>औपबन्धिक चयन सूची</u>

नियम-१८ (ठ) के अधीन बोर्ड द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की औपबन्धिक सूची अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन के साथ उपयुक्तता के अधीन श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी।

(ढ) <u>चरित्र सत्यापन–</u> नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और उनके आपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

(एक) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिको के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(दो) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति

खण्ड–18(ट) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के पश्चात अनन्तिम चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियो से नियुक्ति प्राधिकारी चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। इस नियमावली के नियम–13 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय द्वारा संचालित करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–10 में दी गयी है। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे उस कमी जिसकें कारण उसे संबधित बोर्ड द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, और यदि संभव हो तो उस कमी को दूर करने तथा 6 माह की अवधि के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने के सबध में सूचित कर दिया जायेगा। यदि 6 माह के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अब भी चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ड) निकाल दिया जायेगा।

(ढ) <u>चरित्र सत्यापन–</u> नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। चरित्र/कागजातों का सत्यापन साधारणतया एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। अभ्यर्थीगण यदि चिकित्सा परीक्षण मे अनुपयुक्त पाये जायें अथवा उनके कागजातों/चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में लाया जाय तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेंगा और ऐसी रिक्तियाँ अग्रतर चयन के लिए अग्रेनीत कर दी जायेंगी।

(क) चरित्र सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक पात्रता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और सभी अन्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र,

प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) उपरोक्तानुसार चरित्र सत्यापन की सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की देख रेख में सम्पादित की जायेगी। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

जिनके सम्बन्ध में उसने क्षैतिज अथवा उर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा किया है, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करने की और उनकी प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र ,खेलों हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति/अधिवास हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) आधारभूत प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को भेजे जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के पयर्वेक्षण में सम्पादित की जायेगी। चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अभ्यर्थी आधारभूत प्रशिक्षण के लिये पात्र नहीं होगा।

नियम 23 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

नियुक्ति	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष वर्गों की अन्य श्रेणियों के आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का सर्वथा अनुसरण करते हुए नियम 15(ट) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा प्रेषित औपबन्धिक चयन सूची के अनुसार अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन के अधीन की जाएगी। अभ्यर्थी के तथ्य प्रतिकूल ज्ञात होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी की अनुपयुक्तता के सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित विनिश्चय करेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान देंगे जिसमें विफल होने पर उनका चयन निरस्त समझा	23– नियुक्तियॉ वर्तमान क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण नियमावली के अनुसार तैयार की गयी और नियम–15 (झ) के माध्यम से बोर्ड द्वारा प्रस्तुत ऐसी चयन सूची के आधार पर की जायेगी, जो चिकित्सा परीक्षा और में दस्तावेज/प्रमाण सत्यापन में स्पष्टता के अध्यधीन होंगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज/चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य जानकारी में आता है तो अपात्रता के मामले का विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। (क) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी से यथा स्थिति अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और

जायेगा एवं चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी।

परन्तु सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

क्षैतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों से जन्मतिथि के लिए हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, जिला/राज्य राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण के मामले में जिला मैजिस्ट्रेट या तहसील द्वारा जारी किया गया निवास एवं श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दायें और बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को अलग–अलग स्थाई पता और पत्राचार पता, प्रत्येक के साथ पिन कोड सहित, डाक घर, विकास खण्ड, तहसील और ग्राम का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देगें, यदि कोई अभ्यर्थी अनुदेश के अनुसार सेवा/प्रशिक्षण में सम्मिलित होने विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त किया गया समझा जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे इस नियमावली के अधीन इस पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

नियम 31 का संशोधन — उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि यथा स्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नामों को नियम 21 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार	(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें यथा स्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग मे हो, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा

रखा जाएगा।

जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

नियम 41 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तभ–एक में दिये गये विद्यमान नियम 41 के स्थान पर, स्तभ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
इस नियमावली के अधीन नियुक्त रिजर्व निरीक्षकों, रिजर्व उपनिरीक्षकों और उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमांडर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार के अनुमोदन से अधिकथित एक नीति के अधीन पी0ए0सी0 को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग की किसी इकाई में समकक्ष पद पर तैनात या स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। उन्हें उस नाम से पदाभिहित किया जा सकता है जो सरकार द्वारा उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार घोषित किया जाय और उन्हें उस पद पर अनुमन्य विशेष भत्ता या वेतन प्राप्त होगा जिस पर वे तैनात हैं।	शिविरपालों/दलनायकों, रिजर्व सब इन्स्पेक्टरों, प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों तथा उनके समकक्ष अन्य पदों पर तैनात कर्मियों को सरकार द्वारा गठित पी0ए0सी0 स्थापना बोर्ड के आदेश द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पी0ए0सी0 के अन्तर्गत स्थानान्तरित या तैनात किया जा सकता है। शिविरपाल, रिजर्व निरीक्षक, यातायात निरीक्षक, तथा उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस का चयन पूर्व प्रचलित प्रकिया एवं मानक के अनुसार किया जायेगा। इन संवर्गो के स्थानान्तरण/तैनाती शासन द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड से जिलों/इकाईयों /पीएसी में की जायेगी। यातायात उपनिरीक्षक का चयन एवं स्थानान्तरण यातायात निदेशालय द्वारा जिलों/इकाईयों/पीएसी में किया जायेगा। इस नियमावली के प्रारंभ के समय पी0ए0सी0 के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं:– रिजर्व निरीक्षक (क) पी0ए0सी0 में 'कंपनी कमान्डर (ख) पी0ए0सी0 में 'क्वार्टर मास्टर' (ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में रिजर्व निरीक्षक' (घ) जिलों में 'यातायात निरीक्षक' उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर (क) पी0ए0सी0 में 'प्लाटून कमांडर' (ख) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार एडजूटेन्ट' (ग) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर' (घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाईयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस' (ड.) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'
इस नियमावली के प्रारंभ के समय पी0ए0सी0 के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं:– रिजर्व निरीक्षक (क) पी0ए0सी0 में 'कंपनी कमान्डर (ख) पी0ए0सी0 में 'क्वार्टर मास्टर' (ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में रिजर्व निरीक्षक' (घ) जिलों में 'यातायात निरीक्षक' उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर (क) पी0ए0सी0 में 'प्लाटून कमांडर' (ख) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार एडजूटेन्ट' (ग) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर' (घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाईयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस' (ड.) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'	रिजर्व निरीक्षक (क) पी0ए0सी0 में 'कंपनी कमान्डर (ख) पी0ए0सी0 में 'क्वार्टर मास्टर' (ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में रिजर्व निरीक्षक' (घ) जिलों में 'यातायात निरीक्षक' उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर (क) पी0ए0सी0 में 'प्लाटून कमांडर' (ख) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार एडजूटेन्ट' (ग) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर' (घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाईयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस' (ड.) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'

नये नियम–47 का बढ़ाया जाना अध्यारोही प्रभाव

47 उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 46 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

1. राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

2. चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

3. सेवारत सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी नियमावली शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा, और तद्धीन प्रोद्भूत कोई अधिकार समाप्त हुये समझे जायेंगें।

4. ऐसे विखण्डन के होते हुये भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन 02 दिसम्बर, 2008 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी।

परिशिष्ट–1 का संशोधन

9 उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट–1 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–1	परिशिष्ट–1
शारीरिक मानक परीक्षण	शारीरिक मानक परीक्षण
शारीरिक दक्षता परीक्षण 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे– 1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2–चिकित्सक/कीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3–पुलिस उपाधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वें अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा– आयु, हाईस्कूल, इण्टरमीडियक और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण–पत्र, खेल प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण–पत्र, होम गार्ड प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र और उर्धवीय व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को प्रस्तर–(क)(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली–भॉति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे।	प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण शारीरिक मानक परीक्षण 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे– 1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2–चिकित्सक/कीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3–पुलिस उपाधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हता यथा– आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडियट और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण–पत्र, खेल प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण–पत्र, होम गार्ड प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र और उर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को नियम–15(क)(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली–भॉति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित

(2) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक–

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर

(दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने का फुलाव

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये बिना फुलाये 79 सेंटीमीटर से कम नही और फुलाने पर 84 से0मी0 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये बिना फुलाये 77 से0मी0 से कम नही और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिये।

टिप्पणी :– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक –

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन

न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

(5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे।

(2) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक–

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर;

(दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने की माप

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये बिना फुलाये 79 सेंटीमीटर व फुलाने पर 84 से0मी0 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये बिना फुलाये 77 से0मी0 व फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

टिप्पणी :– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक –

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन

न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

(5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट

(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट–2 का संशोधन

10 उक्त नियमावली में, परिशिष्ट–2 नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये क्रमांक (ज) पर स्थिति विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्ट
(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी।	(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

परिशिष्ट–3 का संशोधन

11 उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट–3 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट–3 प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों की सीधी भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परीक्षा परिषद जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रकिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित	परिशिष्ट–3 प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों की सीधी भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परीक्षा परिषद लिखित परीक्षा में अर्ह व अन्तिम चयन सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थी ही अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सम्पूर्ण प्रकिया का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी की उससे चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सा परीक्षा एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय

	समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया जा सकता है। जहां कहीं भी चिकित्सा परीक्षा आयोजित होती है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
परिशिष्ट--4 का संशोधन	12 उक्त नियमावली में, परिशिष्ट–4 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (क) से (त) से भिन्न विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया उपबन्ध रख दिया जायेगा, अर्थात :–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान उपबन्ध	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबन्ध
	लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे, जहॉ से बुलावा पत्र भेजा गया था।	शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे, जहॉ से पूर्ववर्ती बुलावा पत्र भेजा गया था।
परिशिष्ट–5 का संशोधन	13 उक्त नियमावली में, परिशिष्ट–5 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये कमसंख्या–7 पर स्थिति विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्ट
	7.चयन सूची:– शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की खण्ड–क के कम संख्या–1, 2, व 4 में यथाविहित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा प्रकटित श्रेष्ठता कम में अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक–1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।	7.चयन सूची:– शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की खण्ड–क के कम संख्या–1, 2, व 4 में यथाविहित प्रकटित अंको के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची के अनुसार अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक–1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।
परिशिष्ट–7 का संशोधन	14 उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट–7 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट–7 उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट–7 नियम 18 (ग) देखें उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण
शारीरिक मानक परीक्षण	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगें:–	शारीरिक मानक परीक्षण शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमे

1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर
2–चिकित्सक/क्रीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3–पुलिस उपाधीक्षक

(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा– आयु, दसवी, बाहरवी और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र होम गार्ड प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिको के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र और लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को प्रस्तर–(क)(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण–पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे।

(2) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक–

ऊंचाई

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर ;

जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने का फुलाव

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 से0मी0 और बिना फुलाए 79 से0मी0 से कम नही होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए फुलाने पर 82से0मी0 बिना फुलाए 77 से0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी:– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–

ऊंचाई

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

निम्नलिखित सदस्य होगें:–
1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर
2–चिकित्सक/क्रीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3–पुलिस उपाधीक्षक

(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हता यथा– आयु, हाई स्कूल इण्टरमीडियट और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र होम गार्ड प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिको के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र और उर्ववाधर व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को नियम–18(क)(6) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण–पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियो का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे।

(2) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक–

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर ;

(दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने की माप

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिए बिना फुलाए 79 से0मी0 व फुलाने पर 84 से0मी0 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए 77 से0मी0 व फुलाने पर 82से0मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी:– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–

ऊंचाई

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊचाई 152 सेंटीमीटर है।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजनः– न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट–8 का संशोधन

15 उक्त नियमावली में, परिशिष्ट–8 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये कमसंख्या (ज) पर स्थिति प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्ट
(ज)शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा कर उन्हें अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील/मुख्यालय और जिला चिकित्सालय को चिकित्सा परीक्षण के लिये भेजा जायेगा।	(ज)शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा कर उनसे मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

परिशिष्ट–10 का संशोधन

16 उक्त नियमावली में, प्ररिशिष्ट–10 में नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी शीर्षक चिकित्सा परीक्षा परिषद के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टियां चिकित्सा परीक्षा परिषद	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियां चिकित्सा परीक्षा परिषद
केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की विभिन्न अधिसूचित केन्द्रों पर चिकित्सा परीक्षा होगी जिन्हें लिखित परीक्षा और समूह वाद विवाद के पश्चात नियम 18(ट) के अधीन चयन किया गया है, इन केन्द्रों को बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिलें के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन	मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों जो अन्तिम/अन्नतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिलें के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड

में 50 से अधिक नही) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि इससे चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण और समय की आवश्यकता होगी तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड निर्णय लेगा और अपने स्तर पर अपेक्षित समय का निश्चय करेगा। चिकित्सा परीक्षा के लिये अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षा को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्टों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी। ये कार्य परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा।

के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने का विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां कही भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

Secre